परियोजना का औचित्य

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अनतर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग के नव निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4520/III (2)/15–08 (मु0मं0घो0) /2015 दिनांक 19.06.2015 द्वारा 6.00 किमी0 मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 54.60 लाख की प्राप्त हुई है। प्रस्तावित कार्य की वन भूमि/नाप भूमि में वास्तविक लम्बाई 3.400 किमी0 है। यह मार्ग भलौन से सिमली पातली अमतोली अमोठा मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम रियाड़ मल्ला के स्कूल के पास समाप्त होता है। उक्त कार्य का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

उक्त कार्य में वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि पड़ती है। प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.11.2015 को किया गया है (आख्या पृष्ठ3-15पर संलग्न है) मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 मी0 लम्बाई में, सिविल सोयम भूमि 0.00 मी0 लम्बाई में, वन पंचायत भूमि 1850.00 मी0 लम्बाई में तथा नाप भूमि 1550.00 मी0 लम्बाई में प्रभावित हो रही है। इस प्रकार कुल 3.40 किमी0 लम्बाई में इस मार्ग की चौडाई 9.00 मी0 ली गयी हैं तथा वृक्षों की गणना भी 7.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है। इस प्रकार आरक्षित वन भूमि शून्य, सिविल सोयम भूमि शून्य तथा वन पंचायत भूमि कुल 1.6650 है0 प्रभावित हो रही हैं, की मॉग की गयी है जो न्यूनतम है। प्रस्तावित मार्ग दोनो मार्गो को जोड़ने के लिए मार्ग का समरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि इस संरेखन में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। समरेखन नं0 2 में वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा मार्ग की लम्बाई बढ जाने के कारण निरस्त किया गया है तथा समरेखन नं0 1 में कोई भी वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण उपयुक्त माना गया है। ग्राम अमोठा एवं ग्राम रियाड़ मल्ला के निवासियों की सहमति को देखते हुए तय किया गया है कि जिस संरेखण पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। मार्ग के समरेखन में कोई मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि धार्मिक स्थान नहीं पड़ते है। मार्ग का भू–गर्भीय निरीक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा कराया गया है। (आख्या पृष्ठ41-45पर संलग्न है)। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समरेखन को उपयुक्त बताया गया है तथा इस संरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है।

अतः प्रश्नगत मार्ग जिसमें वन भूमि 1.6650 है0, का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने की कृपा करे।

(इं0 आर0 सी0 पाण्डे)
सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

(इं0 मीना भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)